फिल्टरको (मंसर्स) और एक अन्य

बनाम

विक्रय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश और एक अन्य

(11 फरवरी, 1986)

(न्यायमूर्ति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, ई० एस० वेंकटरामय्या, वी० बालकृष्ण एराडी, आर० बी० मिश्र और वी० खालिद)

मध्य प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम (मध्य प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट), 1958—अनुसूची-I की प्रविष्टि 6—ऊनी नमदे को विक्रय-कर से छूट दिए जाने का प्रश्न—संपीड़ित ऊनी नमदे को वस्त्र मानकर विक्रय-कर से तभी छूट दी जा सकती है, जबकि वह वस्त्र की भांति नम्य हो।

निर्वचन के सिद्धांत—लोकप्रिय या प्रचलित अर्थ—यदि किसी कानून में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थान्वयन किसी लोकप्रिय अर्थ के अनुसार किया जा सकता है, तो ऐसे कानून का अर्थान्वयन उसमें अंतर्विष्ट भाषा के कठोर अथवा तकनीकी अर्थ के अनुसार नहीं, बल्कि उसके लोकप्रिय अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1958 की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत सभी प्रकार के वस्त्रों को, जो मिलों में अथवा शक्ति-चालित करघों या हथकरघों से बनाए गए हों, विक्रय-कर से छूट प्राप्त है। इन वस्त्रों में संसाधित वस्त्र भी सम्मिलित हैं। अपीलार्थी-कम्पनी ऊनी नमदे बनाती है। 1971 में अपीलार्थी-कम्पनी ने नमदे का एक नमूना मध्य प्रदेश के विक्रय-कर आयुक्त के पास भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि वह उसे विक्रय-कर से छूट दे। विक्रय-कर आयुक्त ने अपने 7 अगस्त, 1971 के पत्र द्वारा उसे यह सूचना दी कि उसने जो नमूना भेजा है, वह ऊनी वस्त्र है और उसे अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अन्तर्गत विक्रय-कर से छूट दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को विक्रय-कर नहीं देना पड़ा। इसके पश्चात् विक्रय-कर आयुक्त ने अपने 4 मार्च, 1982 के पत्र द्वारा अपीलार्थी

1986(2) eILR(PAT) SC 1

को यह सूचना दी कि उच्चतम न्यायालय के तत्सम्बन्धी निर्णय को देखते हुए, अब ऊनी नमदे को अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अंतर्गत विक्रय-कर से छूट प्राप्त नहीं रहेगी, बल्कि उस पर द्वितीय अनुसूची के भाग 6 की प्रविष्टि-1 के अधीन विक्रय-कर लगेगा। इस पर अपीलार्थी ने अलग-अलग मोटाई और कठोरता वाले ऊनी नमदे के 26 नमूने विक्रय-कर आयुक्त को भेजे और उसके यहां अधिनियम की धारा 42-ख के अधीन इस आशय का आवेदन किया कि वह माल की कराधेयता के बारे में निर्णय करे। विक्रय-कर आयुक्त ने पूरी सुनवाई करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें से केवल 5 नमूने विक्रय-कर से छूट पाने योग्य हैं। अपीलार्थी ने इस निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की जिसे उसने उसके गुणागुण पर विचार किए बिना इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस सम्बन्ध में पहले अपील प्राधिकारी निर्णय करे और यदि अपीलार्थी उनके निर्णय से असंतुष्ट रहे, तो वह अधिनियम की धारा 44 के अधीन निर्देश कर सकता है। अपीलार्थी ने विक्रय-कर आयुक्त के 7 अगस्त, 1971 के पत्र का अवलम्ब लेकर यह भी निवेदन किया कि उसके मामले में विबंध का सिद्धांत लागू होता है। मामले के इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत होते हैं : (1) क्या ऊनी नमदा वस्त्र है और उसे अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अन्तर्गत विक्रय-कर से छूट दी जा सकती है ? (2) क्या उच्च न्यायालय का अपीलार्थी की रिट याचिका को इस प्रकार खारिज कर देना न्यायोचित है ? अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—"वस्त्र" ऐसी बुनी अथवा नमदेदार बनाई गई सामग्री है जो नम्य हो और वेष्टित किए जाने, मोड़े अथवा चारों ओर लपेटे जाने योग्य हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहनने के वस्त्रों को बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री ही हो क्योंकि कोई वस्त्र ऐसा भी हो सकता है जो केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए ही उपयुक्त हो किन्तु फिर भी उसमें नम्यता का मूलभूत लक्षण अवश्य होना चाहिए। कठोर और मोटी सामग्री जो वेष्टित नहीं की जा सकती या चारों ओर नहीं लपेटी जा सकती "वस्त्र" नहीं मानी जा सकती। अतः आयुक्त का यह मत पूर्ण रूप से सही था कि अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित नमदे की नम्यता की कसौटी पर खरी उतरने वाली किस्में ही इस उद्देश्य से वस्त्र का गठन करेंगी कि वे अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 की परिधि के भीतर आ सकें। (पैरा 15)

न्यायालय ने अपीलार्थियों के तारीख 7 अगस्त, 1971 के जिस पत्र को उद्धृत किया है उससे यह प्रकट होता है कि 25 मार्च, 1971 के अपने पत्र

1986(2) eILR(PAT

के साथ अपीलार्थियों ने विक्रय-कर आयुक्त को नमदे का केवल एक नमूना अग्रेषित किया था और नमदे के उसी एक नमूने के संबंध में आयुक्त ने यह मत व्यक्त किया था कि उसे अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अधीन छूट प्राप्त है। इस मामले में पेश किए गए नमूनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी अलग-अलग कठोरता, घनत्व और मोटाई के संपीड़ित ऊनी नमदे की भिन्न-भिन्न 26 किस्मों का विनिर्माण कर रहे हैं। अभिलेख पर यह दर्शित करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि इन 26 किस्मों में से नमूने के रूप में कौन-सी किस्में सन् 1971 में आयुक्त को भेजी गई थीं। इन परिस्थितियों में साम्यापूर्ण विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। (पैरा 18)

विक्रय-कर आयुक्त ने अपने तारीख 25 जनवरी, 1983 के आदेश में जो मत व्यक्त किया है वह पूर्ण रूप से वैध और सही है तथा उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 19)

तथापि न्यायालय इस तथ्य का ध्यानर खते हुए, कि अपीलार्थियों का उद्योग लघु क्षेत्र का उद्योग है तथा अपीलार्थी आयुक्त के तारीख 7 अगस्त, 1971 के पत्र से उत्पन्न सुरक्षा की इस भावना के भुलावे में रहे हैं कि उनके कारखाने में विनिर्मित नमदा कराधेय नहीं है और अपीलार्थियों ने यही सोचकर 1971 से लेकर जनवरी, 1983 तक की अवधि में ग्राहकों से कोई विक्रय-कर वसूल नहीं किया था, यह मत व्यक्त करता है कि यह मामला एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें राज्य सरकार को इस प्रश्न पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान माल के आवर्त के सम्बन्ध में संदेय सम्पूर्ण विक्रय-कर या कम-से-कम उसके किसी सारवान् भाग का, उद्योग को आर्थिक दिवालिएपन से बचाने की दृष्टि से अधित्यजन किया जाना चाहिए या नहीं। (पैरा 20)

उच्च न्यायालय ने जिस रीति से रिट याचिका आरम्भ में ही खारिज कर दी थी उसे, इस न्यायालय की राय में वैसा करने की बजाय उसके गुणागुण की परीक्षा करनी चाहिए थी। विक्रय-कर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया था वह स्पष्ट रूप से धारा 42-ख(2) के अधीन निर्धारण प्राधिकारी पर आबद्धकर था यद्यपि अपीलार्थियों को अपील प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष निवेदन करने की छूट थी तो भी उसका ऐसा करना उस दशा में उसका व्यर्थ परिश्रम मात्र होता जबकि किसी वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित संपीड़ित ऊनी नमदे की 21 किस्में अधिनियम की अनुसूची-I

की प्रविष्टि 6 के अधीन छूट की पात्र नहीं हैं, अधिनियम की धारा 42-ख की उपधारा (1) के अधीन अपनी कानूनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सुविचारित आदेश पारित कर दिया हो। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 38(3) में यह अपेक्षा की गई है कि कोई अपील अथवा पुनरीक्षण फाइल किए जाने से पूर्व कर का सारवान् भाग निक्षिप्त किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् निर्णय सुनाना चाहिए था तथा रिट याचिका का संक्षेपतः खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं था। (पैरा 11)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1977]	(1977) 39 एस० टी० सी० 378 (एस० सी०) : **पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम वशी अहमद;**	12
[1962]	(1962) 13 एस० टी० सी० 1 (एस० सी०) : **मोतीपुर जमींदारी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य;**	12
[1876]	(1876) 1 एक्स० डी० 242 : **ग्रेन्फेल बनाम इन्लैण्ड रेवेन्यू कमिश्नर्स;**	12
[1824]	(1824) 9 व्हीटन (यू० एस०) 430 : **200 चेस्ट्स आफ टी वाला मामला.**	12

प्रभेदित निर्णय

[1978]	(1978) 42 एस० टी० सी० 433 (एस० सी०) : **पोरिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य;**	12, 16, 17
[1977]	[1977] 3 एस० सी० आर० 472 : **भारत संघ और अन्य बनाम गुजरात वूलन फेल्ट मिल्स.**	16

सिविल अपीली अधिकारिता : 1983 की सिविल अपील सं० 8548.

1983 की प्रकीर्ण याचिका सं० 298 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 31 मार्च, 1983 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री पी० गोविन्दन नायर और एस० के० गम्भीर
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री ए० के० सांघी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बालकृष्ण एराडी ने दिया ।

न्यायमूर्ति एराडी—

विशेष इजाजत लेकर की गई इस अपील में हमारे विचारार्थ उद्भूत होने वाला संक्षिप्त किन्तु रोचक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थियों के लघु उद्योग एकक में विनिर्मित संपीडित ऊनी नमदों की बाबत यह कहा जा सकता है कि वे इस प्रकार वस्त्र गठित करते हैं जिससे कि वे मध्य प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट (मध्य प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम), 1958 (संक्षेप में अधिनियम) की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 6, जिसकी भाषा निम्नलिखित है, की परिधि के भीतर आ जाएं—

> *"मिल में या शक्ति-चालित करघों या हथकरघों से विनिर्मित वस्त्र की सभी किस्में जिनमें संसाधित वस्त्र सम्मिलित हैं, किन्तु जिनमें जूट का मोटा वस्त्र (हैसियन क्लाथ) सम्मिलित नहीं है ।"

जिससे वे उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन विक्रय-कर से छूट प्राप्त करने की पात्र बन सकें ।

2. अपीलार्थियों के कारखाने में नमदे के विनिर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का वर्णन विक्रय-कर आयुक्त के तारीख 25 जनवरी, 1983 के

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"All varieties of Cloth manufactured in mills or on powerlooms or handlooms including processed cloth, but excluding hessian cloth."

1986(2) eILR(PAT) SC 1

आदेश में किया गया है। ऊनी तंतुओं वाली कच्ची सामग्री पहले पूरी तरह से मिश्रित की जाती है और उसके पश्चात् वह धुनने की मशीन पर धुनी जाती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप धुनी हुई अवस्था में तंतुओं की एक परत प्राप्त हो जाती है जिसमें तंतुओं की दिशा एक ही होती है। इसके पश्चात् जाली वाली परत के रूप में ये धुने हुए तंतु उत्केन्द्रीय गति वाली मशीन में कठोरीकरण की प्रक्रिया से गुजारे जाते हैं; धुनी हुई ये जालीदार परतें कपड़े की दो परतों के बीच रखकर भाप की एक पेटी से गुजारी जाती हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जालीदार/ऊन की परत एक शीट के रूप में बदल जाती है और उसके पश्चात् यह शीट पेषण की प्रक्रिया से गुजारी जाती है जिससे उसमें आवश्यक तनन शक्ति और सिकुड़न पैदा की जा सके। इस प्रयोजन के लिए उक्त शीट एक ऐसी मशीन में रखी जाती है जिसमें शीट में आवश्यक नमदाकारी पैदा करने के लिए विपरीत दिशाओं में घूमने वाले बेलनों की दो कतारें होती हैं। ये शीटें मशीन में उस समय चलाई जाती हैं जब तक कि उन्हें वांछित सिकुड़न और घनत्व प्राप्त नहीं हो जाता। इसके पश्चात् उक्त शीट सुखाकर और उसके सिरे तराशकर, कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से गुजारी जाती है और इस प्रयोजन के लिए शीट विपरीत दिशाओं में घूमने वाले वाष्प तप्त बेलनों से गुजारी जाती है। इस प्रकार जो उत्पाद प्राप्त होता है, वह नमदा होता है।

3. उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित ऊनी नमदा एक ऐसी सामग्री है जो ऊनी तंतुओं को संपीडित करके तथा उन्हें ताप और नमी के वातावरण में रखकर प्राप्त की जाती है। यह सामग्री बिना बुनी सामग्री होती है।

4. अपीलार्थी ने 25 मार्च, 1971 को अपने कारखाने में विनिर्मित नमदे का एक नमूना अग्रेषित करते हुए तथा यह अनुरोध करते हुए कि उसे अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अधीन कर से छूट प्राप्त सामग्री माना जाना चाहिए, विक्रय-कर आयुक्त को एक पत्र भेजा।

5. उक्त पत्र के उत्तर में विक्रय-कर आयुक्त ने निम्नलिखित पत्र

1986(2) eILR(PAT) SC

(उपाबन्ध 1) अपीलार्थियों को भेजा—

"विक्रय-कर आयुक्त का कार्यालय

मध्य प्रदेश

सं० विक/एफ/32/71/12317 इंदौर तारीख 7-8-1971

सेवा में

फिल्टरको,
गार्डन 51,
नीमच (मध्य प्रदेश)

महोदय,

आपके तारीख 25 मार्च, 1971 के पत्र के संदर्भ में यह निवेदन है कि आपने नमदे का जो नमूना प्रस्तुत किया है, उसे ऊनी वस्त्र होने के कारण मध्य प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1958 की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अधीन विक्रय-कर से छूट प्राप्त है।

भवदीय

हुस्ता-/

(एन० के० पिल्लै)

अपर आयुक्त

कृते विक्रय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश"

6. दोनों का एक ही आधार यह है कि विक्रय-कर आयुक्त के उपर्युक्त पत्र के आधार पर सन् 1971 से सन् 1982 तक की अवधि के दौरान संपीडित ऊनी नमदे के विक्रय के सम्बन्ध में अपीलार्थियों के व्यापारावर्त पर प्रकटत: कर नहीं लगाया गया था।

7. ऐसी दशा चल ही रही थी कि इसी बीच विक्रय-कर आयुक्त मध्य प्रदेश ने 4 मार्च, 1982 को अपीलार्थियों को निम्नलिखित पत्र (उपाबंध-11) भेजा—

"विक्रय-कर आयुक्त का कार्यालय

मध्य प्रदेश

सं० एस० टी०/आई-310/24(बी)79/2872 इंदौर तारीख 4-3-82

सेवा में

मैसर्स फिल्टरको,
गार्डन 51,
नीमच (मध्य प्रदेश)

विषय—संपीड़ित ऊनी नमदे पर विक्रय-कर का उद्ग्रहण।

मसर्स गुजरात वूलन मिल्स (ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 1548) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि संपीडित ऊनी नमदे "ऊनी वस्त्र" नहीं हैं, आपके द्वारा विनिर्मित संपीडित ऊनी नमदे को मध्य प्रदेश साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1958 की अनुसूची 1 की प्रविष्टि 6 के अधीन विक्रय-कर से छूट प्राप्त नहीं होगी, किंतु वह उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-II के भाग 6 की प्रविष्टि 1 के अधीन आएगा और उस पर 10 प्रतिशत की दर पर विक्रय-कर लगेगा।

आपके इस कार्यालय के तारीख 7 अगस्त, 1971 के पत्र सं० आई/26/32/71-12317 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह निरसित किया जाता है।

भवदीय

हस्ता-

सहायक आयुक्त (तक०)

कृते विक्रय-कर आयुक्त, मध्य प्रदेश।"

8. विक्रय-कर आयुक्त द्वारा अपनाए गए इस पुनरीक्षित आधार से व्यथित होकर कि अपीलार्थी के कारखाने में विनिर्मित नमदा छूट का पात्र नहीं है और उस पर 10 प्रतिशत की दर से विक्रय-कर लगेगा, अपीलार्थियों ने प्रश्नगत माल की कराधेयता के प्रश्न के अवधारण के लिए उक्त अधिनियम

की धारा 42-ख के अधीन विक्रय-कर आयुक्त के समक्ष एक आवेदन फाइल किया। धारा 42-ख की भाषा निम्नलिखित है—

*" 42-ख. **विवादग्रस्त प्रश्न का अवधारण**—

(1) यदि कोई व्यवहारी किसी माल पर कर की दर के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है, तो आयुक्त, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाए, ऐसे माल पर कर की दर का अवधारण करते हुए आदेश करेगा।

(2) आयुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित कोई आदेश अपीलों को छोड़कर अधिनियम के अधीन वाली सभी कार्यवाहियों में धारा 3 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों पर आबद्धकर होगा।"

9. अपीलार्थियों ने अलग-अलग कठोरता, घनत्व और मोटाई वाले नमदे के 26 नमूने, प्रत्येक नमूने का ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण सहित, आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। अपीलार्थियों की पूरी सुनवाई करने के पश्चात् विक्रय-कर आयुक्त ने 25 जनवरी, 1983 को यह मत व्यक्त करते हुए आदेश पारित किया कि यद्यपि "वस्त्र" नामक पद के भीतर बिना बुनी सामग्री, जिसमें नमदा शामिल है, शामिल होगी तो भी नम्यता वस्त्र की एक अनिवार्य विशेषता है और अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित नमदे की वे ही किस्में जो नम्यता की कसौटी पर खरी उतरेंगी, वस्त्र के रूप में वैध रूप से वर्गीकृत की जा सकेंगी। आयुक्त ने उक्त कसौटी को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए 26 नमूनों में से केवल

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"Section 42-B. **Determination of disputed question**—

(1) If any question is raised by a dealer in respect of the rate of tax on any goods, the Commissioner shall, in accordance with such procedure as may be prescribed, make an order determining the rate of tax on such goods.

(2) Any order passed by the Commissioner under sub-section (1) shall be binding on the authorities referred to in Section 3 in all proceedings under the Act except appeals."

5 ही अर्थात् आयुक्त द्वारा क-1, क-2, क-3, क-4 और क-19 के रूप में चिह्नित नमूने, वस्त्र के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं और उसने अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अधीन उन्हें विक्रय-कर से छूट दे दी और यह कि शेष 21 नमूने उक्त प्रविष्टि के प्रविषय के अन्तर्गत नहीं आएंगे और इसीलिए वे 10 प्रतिशत की दर से कराधेय होंगे।

10. अपीलार्थियों ने आयुक्त द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश को वहां तक चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की, जहां तक कि वह आदेश उनके विरुद्ध जाता था। उच्च न्यायालय ने यह रिट याचिका उसके गुणागुण पर विचार किए बिना यह मत व्यक्त करते हुए खारिज कर दी—

> "याचियों का पक्षकथन यह नहीं है कि आयुक्त ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के प्रतिकूल कार्य किया है। चूंकि याचियों ने अपना विवाद आयुक्त को निर्देशित किया है, अत: उसको उक्त आक्षेपित आदेश पारित करने की अधिकारिता प्राप्त थी। इस प्रक्रम में हम उक्त आक्षेपित आदेश के सही होने की बाबत कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उक्त आदेश अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारियों पर आबद्धकर नहीं होता है जो याचियों द्वारा उक्त प्रश्न के नए सिरे से उठाए जाने पर उसकी जांच निस्सन्देह करेंगे। यदि याची अपील प्राधिकारियों के विनिश्चय से व्यथित हैं, तो अधिनियम की धारा 44 के अधीन इस न्यायालय को निर्देश किया जा सकता है। चूंकि याचियों को अधिनियम के अधीन उपचार उपलभ्य है, अत: संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन इस न्यायालय को अपनी असाधारण शक्तियों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है।"

उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने विशेष इजाज़त लेकर यह अपील फाइल की है।

11. उच्च न्यायालय ने जिस रीति से रिट याचिका आरम्भ में ही खारिज कर दी थी उसे, हमारी राय में, वैसा करने की बजाय मामले के गुणागुण की परीक्षा करनी चाहिए थी। विक्रय-कर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया था, वह स्पष्ट रूप से धारा 42-ख(2) के अधीन निर्धारण प्राधिकारी पर आबद्धकर था और यद्यपि अपीलार्थियों को अपील प्राधिकारी

अर्थात् सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष निवेदन करने की छूट थी, तो भी उसका ऐसा करना उस दशा में उसका व्यर्थ परिश्रम मात्र होता, जबकि किसी वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित संपीडित ऊनी नमदे की 21 किस्में अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अधीन छूट की पात्र नहीं हैं, अधिनियम की धारा 42-ख की उपधारा (1) के अधीन अपनी कानूनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सुविचारित आदेश पारित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 38(3) में यह अपेक्षा की गई है कि कोई अपील अथवा पुनरीक्षण फाइल किए जाने से पूर्व कर का सारवान् भाग निक्षिप्त किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमारे विचार से उच्च न्यायालय को पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् निर्णय सुनाना चाहिए था तथा रिट याचिका का संक्षेपतः खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं था। यद्यपि ऐसी दशा में हमने साधारणतः उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया होता और उसे नए सिरे से निपटारे के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया होता, तो भी हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में दोनों पक्षकारों के हित में यही होगा कि इस प्रक्रम में यही न्यायालय मामले का अन्तिम रूप से विनिश्चय करे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमें दोनों पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेलों द्वारा किए गए विस्तृत और बुद्धिमत्तापूर्ण निवेदनों को सुनने का सुलाभ मिला है।

12. अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 द्वारा दी गई छूट का फायदा प्राप्त करने के लिए माल "वस्त्र की सभी किस्में" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आना चाहिए। अब यह विधिक स्थिति सुस्थिर है कि किसी कराधान सम्बन्धी कानून में विद्यमान दैनंदिन प्रयोग के शब्दों का अर्थान्वयन उनके वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अर्थ में नहीं बल्कि आम बोल-चाल में अर्थात् उनके "लोकप्रिय अर्थ" में समझे जाने वाले अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसा कि पौलॉक बी० ने ग्रेन्फेल बनाम इन्लैण्ड रेवेन्यू कमिश्नर्स[1] वाले मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि "यदि किसी कानून में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थान्वयन किसी लोकप्रिय अर्थ के अनुसार किया जा सकता है, तो ऐसे कानून का अर्थान्वयन उसमें अंतर्विष्ट भाषा के कठोर अथवा तकनीकी अर्थ के अनुसार नहीं, बल्कि उसके लोकप्रिय अर्थ के अनुसार

[1] (1876) 1 एक्स० डी० 242 पृष्ठ 248.

किया जाना चाहिए; यहां लोकप्रिय अर्थ का अभिप्राय ऐसे लोकप्रिय अर्थ वाले शब्दों से है जिसे उक्त कानून की विषयवस्तु को भलीभांति जानने वाले व्यक्ति उन्हें प्रदान करें।" यही सिद्धांत किंचित् भिन्न भाषा में जस्टिस स्टोरी द्वारा **200 चेस्ट्स आफ टी**[1] वाले मामले में व्यक्त किया गया था जिसमें विद्वान् न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेदों के क्षेत्र में विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त विशेष शब्दों का बोध प्रयुक्त शब्दों के सामान्य वाणिज्यिक बोध के अनुसार किया जाना है, न कि उनके वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अर्थ में, क्योंकि विधानमण्डल ने यह कल्पना नहीं की है कि हमारे व्यापारी, प्रकृति-शास्त्री या भू-गर्भ-शास्त्री या वनस्पति-शास्त्री हैं। इस न्यायालय ने उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति **मोतीपुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य**[2], **पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम बशी अहमद**[3] तथा **पेरिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य**[4] वाले मामलों में की है।

13. आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "वस्त्र" से—

> "चारों ओर लपेटने, फैलाने या मोड़ने, सुखाने, पोंछने या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बुनी या नमदेदार सामग्री का कोई नम्य टुकड़ा; लपेटने वाला कोई वस्त्र, वेष्टन, आवरण पर्दा, रूमाल, तौलिया आदि, अभिप्रेत हैं......।" (अधोरेखांकन हमने किया है)

14. वैब्स्टर की न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी में "वस्त्र" शब्द की बाबत यह कहा गया है कि उससे—

> "किसी तंतु से बुना या नमदेदार बनाया गया कोई नम्य वस्त्र सामान्यत: प्रयोग में लाया जाने वाला वस्त्र या बुनी हुई रुई, पहनने के वस्त्रों आदि के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ऊनी, रेशमी, रेयन या लिनन का वस्त्र"...... (अधोरेखांकन हमने किया है)

15. "वस्त्र" शब्द के शब्दकोशों में दिए गए अर्थ तथा उसके व्यापक रूप से स्वीकृत लोकप्रिय अर्थ पर विचार करने के पश्चात् "वस्त्र" ऐसी बुनी या नमदेदार बनाई गई सामग्री है जो नम्य हो और वेष्टित किए जाने, मोड़े अथवा चारों ओर लपेटे जाने योग्य हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहनने

---

1 (1824) 9 व्हीटन यू० एस० 430 पृष्ठ 438.
2 (1962) 13 एस० टी० सी० 1 (एस० सी०).
3 (1977) 39 एस० टी० सी० 378 (एस० सी०).
4 (1978) 42 एस० टी० सी० 433 (एस० सी०).

1986(2) eILR(PAT) SC 1

के वस्त्रों को बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री ही हो, क्योंकि कोई वस्त्र ऐसा भी हो सकता है जो केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए ही उपयुक्त हो किन्तु फिर भी उसमें नम्यता का मूलभूत लक्षण अवश्य होना चाहिए। कठोर और मोटी सामग्री जो वेष्टित नहीं की जा सकती या चारों ओर नहीं लपेटी जा सकती, "वस्त्र" नहीं मानी जा सकती। अत: हमारी राय में आयुक्त का यह मत पूर्ण रूप से सही था कि अपीलार्थियों द्वारा विनिर्मित नमदे की नम्यता की कसौटी पर खरी उतरने वाली किस्में ही इस उद्देश्य से वस्त्र का गठन करेंगी कि वे अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 की परिधि के भीतर आ सकें।

16. अपीलार्थियों के काउन्सेल ने हमारे समक्ष यह निवेदन किया कि इस न्यायालय के **पोरिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में किए गए विनिश्चय और **भारत संघ और अन्य** बनाम **गुजरात वूलन फैल्ट मिल्स**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ववर्ती नजीर के बीच विरोध है। हमें इन दोनों विनिश्चयों में कोई विरोध दिखाई नहीं देता। तथापि, इन दोनों विनिर्णयों में नमदे की कतिपय किस्मों के बारे में विचार किए जाने के बावजूद वे प्रस्तुत मामले के विनिश्चय में किसी प्रकार से सहायक नहीं हैं। **गुजरात वूलन फैल्ट मिल्स**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत होने वाला प्रश्न यह था कि क्या मशीन से प्रैस करके ऊनी तंतुओं से विनिर्मित बिना बुने नमदे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 21 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ ऊनी वस्त्र हैं या नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "वस्त्र" पद के अन्तर्गत बुनी सामग्री भी आती है और इसलिए ऊनी तंतुओं से बने बिना बुने नमदे "ऊनी वस्त्र" नहीं हैं।

17. **पोरिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले पश्चात्वर्ती मामले में इस न्यायालय के समक्ष उद्भूत होने वाला प्रश्न पूर्णत: भिन्न था। उस मामले में यह निवेदन किया गया था कि ताने और बाने की बुनाई की प्रक्रिया के अनुसार सूती या ऊनी धागे से बने और कागज के विनिर्माण एककों में नमी के अवशेषकों के रूप में और आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले शोषक नमदे पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम (पंजाब जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट), 1948 की अनुसूची-ख की मद 30 में "वस्त्र" शब्द के साधारण और सामान्य अर्थ के अन्तर्गत आते हैं

---

[1] (1978) 42 एस० टी० सी० 433 (एस० सी०).
[2] (1977) 3 एस० सी० आर० 472.

1986(2) eILR(PAT) SC 1

और इसलिए उन्हें कर से छूट प्राप्त है। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि "वस्त्र" शब्द का निर्वचन उसके लोकप्रिय अर्थ के अनुसार किया जाए, तो उसका केवल एक ही अर्थ "बुना हुआ वस्त्र" है और चूंकि शोषक नमदे ताने और बाने की बुनाई की प्रक्रिया के अनुसार सूती, ऊनी संश्लिष्ट धागे से बनाए गए हैं, इसलिए वे निस्संदेह अनुसूची-ख की मद-30 में "वस्त्र" शब्द के अर्थ के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि हमारे समक्ष वाले मामले की विषयवस्तु निश्चित रूप से वैसा नमदा है जिसका विनिर्माण सर्वथा भिन्न प्रक्रिया से किया गया है और चूंकि उस कानून की, जिससे हम संबद्ध हैं, अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 की भाषा सर्वथा भिन्न है, इसलिए ये दोनों विनिश्चय हमारे लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं हैं।

18. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने विक्रय-कर आयुक्त के तारीख 7 अगस्त, 1971 के पत्र-उपाबंध-I का दृढ़ अवलंब लेकर प्रत्यर्थियों को यह निवेदन करने से विवर्जित करने वाले साम्यापूर्ण विबंध के उस सिद्धांत का आश्रय लेने की ईप्सा की कि प्रश्नगत माल को अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 द्वारा दी गई छूट का फायदा नहीं मिल सकता। हमारे लिए इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। हमने अपीलार्थियों के तारीख 7 अगस्त, 1971 के जिस पत्र को ऊपर उद्धृत किया है, उससे यह प्रकट होता है कि 25 मार्च, 1971 के अपने पत्र के साथ अपीलार्थियों ने विक्रय-कर आयुक्त को नमदे का केवल एक नमूना अग्रेषित किया था और नमदे के उसी एक नमूने के संबंध में आयुक्त ने यह मत व्यक्त किया था कि उसे अनुसूची-I की प्रविष्टि 6 के अधीन छूट प्राप्त है। इस मामले में पेश किए गए नमूनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी अलग-अलग कठोरता, घनत्व और मोटाई के संपीडित ऊनी नमदे की भिन्न-भिन्न 26 किस्मों का विनिर्माण कर रहे हैं। अभिलेख पर यह दर्शित करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि इन 26 किस्मों में से नमूने के रूप में कौन-सी किस्में सन् 1971 में आयुक्त को भेजी गई थीं। इन परिस्थितियों में साम्यापूर्ण विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता।

19. पूर्वगामी विवेचन को ध्यान में रखते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विक्रय-कर आयुक्त ने अपने तारीख 25 जनवरी, 1983 के आदेश में जो मत व्यक्त किया है, वह पूर्ण रूप से वैध और सही है तथा उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

1986(2) eILR(PAT) SC 1

20. तथापि, इस मामले से विलग होने से पूर्व हम इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि अपीलार्थियों का उद्योग लघु क्षेत्र का उद्योग है तथा अपीलार्थी आयुक्त के तारीख 7 अगस्त, 1971 के पत्र से उत्पन्न सुरक्षा की इस भावना के भुलावे में रहे हैं कि उनके कारखाने में विनिर्मित नमदा कराधेय नहीं है और इसी भावना के कारण अपीलार्थियों ने 1971 से लेकर जनवरी, 1983 तक की अवधि में ग्राहकों से कोई विक्रय-कर वसूल नहीं किया था, यह मत व्यक्त करते हैं कि यह मामला एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें राज्य सरकार को इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान माल के आवर्त के संबंध में संदेय संपूर्ण विक्रय-कर या कम से कम उसके किसी सारवान् भाग का, उद्योग को आर्थिक दिवालिएपन से बचाने की दृष्टि से, अधित्यजन किया जाना चाहिए या नहीं। इन मताभिव्यक्तियों के साथ हम इस अपील को खारिज करते हुए यह निदेश देते हैं कि पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील खारिज की गई।

अशोक/श्री०